By Speed Post

No.8/16/2005-IPR-I(Vol.V)
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Industrial Policy and Promotion
(IPR-I Section)

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated: 16 .8.2012

To

Shri Chaitanya Prasad,
Controller General of Patents, Designs & Trade Marks,
Boudhik Sampada Bhawan, Next to Antop Hill Post Office,
S.M. Road, Antop Hill,
MUMBAI-400037.

(Kind attention:Dr. B.K. Singh, Assistant Controller)

Subject:- Forwarding of Recruitment Rules to the post of Hindi Officer & Junior Hindi Translator in the O/o CGPDTM.

Sir,

I am directed to forward herewith 5 copies of Recruitment Rules for the post of Hindi Officer & Junior Hndi Translator in TM & GI under the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks published as GSR 598(E), in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i), vide Notification dated 30th July, 2012, for information and record.

Yours faithfully,

(R.D.Diwakar)
Section Officer

Encls: As above

2891
26 AUG 2012

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2012/श्रावण 8, 1934

No. 385] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2012/SHRAVANA 8, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 598(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महानियंत्रक, पेटेन्ट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह (हिंदी अधिकारी, समूह ' ख' पद) भर्ती नियम, 1984 और व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2005 जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के अधीन महानियंत्रक पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह कार्यालय के व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (हिंदी अधिकारी समूह 'क' पद और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, समूह ' ख' पद) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.हिंदी अधिकारी	*01 (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3 15,600-39,100 रू0 धन 5,400 रू ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नत किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति: वेतन बैंड-2 9300-34800 रु0 + ग्रेड वेतन 4200 में ऐसे कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जिनकी श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है और राजभाषा विभाग, केन्द्रीय अनुवाद/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति** : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु0) + 4600रु0 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु0) + 4200रु0 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:- **आवश्यक:-** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी विषय के साथ किसी भी विषय में हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री ।

(II) हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी ।

या

हिंदी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(1) संस्कृत और/या किसी आधुनिक भारतीय भाषा का दसवीं कक्षा स्तर का ज्ञान ।

(2) एक वर्ष का प्रशासनिक अनुभव

(3) टिप्पण और प्रारूपण से संबंधित हिंदी कक्षाओं या कार्यशालाओं के आयोजन का एक वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार दिया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा में जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तथ्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	-सदस्य
3. महानियंत्रक पेटेन्ट, डिजाइन, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन	-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 .कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	* 02 (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2 9300-34,800 रू0 धन 4200 रू ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)
30 वर्ष से अधिक नहीं

टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)

आवश्यकः

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी परीक्षा के माध्यम क साथ अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से बैचलर स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या इनमें से किसी एक से या परीक्षा के माध्यम के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री ; और

(II) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुंवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद काय का दो वर्ष का अनुभव; और

टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए गए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

2827 GI/12-2

टिप्पण 2 :- अनुभव संबधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय :-

(I) संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिंदी से भिन्न किसी एक भाषा का मेट्रीकुलेशन स्तर का ज्ञान

(II) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा

(III) मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का बुनियादी पाठ्यक्रम

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात्:- (क) (I) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (II) जिनकी वेतन बैंड-1 (5,200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2,800 रु. या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छः वर्ष की सेवा है ; या (ख) जो स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं रखते हैं ।	लागू नहीं होता ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. ज्येष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन -अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य 3. उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार या ज्येष्ठ परीक्षक या परीक्षक व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन -सदस्य 4. उप नियंत्रक या सहायक नियंत्रक पेटेन्ट और डिजाइन -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 8/16/2005 आईपीआर-I(वो. V)]

डी. बी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2012

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Controller General, Patents, Designs and Trade Marks (Hindi Officer, Group 'B' post) Recruitment Rules, 1984 and the Trade Marks and Geographical Indications Registry Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2005 in so far as they relate to the post of Junior Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in the Trade Marks and Geographical Indications Registry in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely: -

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Trade Marks and Geographical Indications Registry (Hindi Officer, Group 'A' post and Junior Hindi Translator, Group 'B' post) Recruitment Rules, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. .– These rules shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, pay band and grade pay/scale of pay.– The number of posts, their classification and the pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to(4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.– The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification .– No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Savings .– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Hindi Officer.	*01(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Pay Band -3 Rs.15,600-39,100 plus grade pay Rs.5,400.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not Applicable.	Two years for promotees.	By Promotion failing which by deputation.

2827 GI/12—3

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
PROMOTION: Junior Hindi Translator in Pay band-2 of Rs.9,300-34,800 with grade pay of Rs.4200 with eight years regular service in the grade and have undergone training course conducted by the Central Translation Bureau/Central Hindi Training Institute, Department of Official Language. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **DEPUTATION:** Officers under the Central Government or State Government or Union territories : - (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR (II) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Pay band-2 (Rs.9,300 – 34,800) + Grade Pay of Rs.4,600 or equivalent in the parent cadre or department; OR (III) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Pay band-2 (Rs.9,300 – 34,800) + Grade Pay of Rs.4,200 or equivalent in the parent cadre or department; AND (b) Possessing the following educational qualifications and experience: **ESSENTIAL:** (I) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level;	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman. 2. Joint Secretary (Administration), Department of Industrial Policy and Promotion – Member. 3. Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indications – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

OR

Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level.

(II) Five years experience of terminological work in Hindi and /or translation work from English to Hindi or vice versa preferably of technical or scientific literature.

OR

Five years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.

DESIRABLE:

(I) Studied Sanskrit or any Modern Indian language upto Xth level.
(II) One year Administrative experience.
(III)One year experience of organising Hindi classes or work-shops for noting and drafting.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Hindi Translator	*02 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Pay band – 2 Rs.9,300-34,800 plus grade pay Rs.4,200.	Not Applicable.	Not exceeding 30 years Note 1: Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizorm, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (I) Master's degree of a recognised University in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject of either or the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND (II) Recognised Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertaking. Note 1:Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: (I) Knowledge at the level of matriculation of a recognized Board of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the constitution. (II) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University. (III) Basic Computer Course from a recognized Institute.	Not applicable	Two years	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumt being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from amongst officers of Central Government: (A)(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (II) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Pay Band-1 (Rs.5,200 – 20,200) plus grade pay of Rs.2,800 or equivalent in the parent cadre/department; and (B) possessing the educational qualifications and other qualifications prescribed for direct recruits in column 7.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Senior Joint Registrar or Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications – Chairman, 2. Administrative Officer – Member, 3. Deputy Registrar or Assistant Registrar or Senior Examiner or Examiner of Trade Marks and Geographical Indications - Member, 4. Deputy Controller or Assistant Controller of Patents and Designs - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 8/16/2005-IPR-I (Vol. V)]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.